न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या – 81/2006

जी.सी.एम.एस नम्बर – 2003/00001

सालय/प्रार्थी **बनाम** **गैर सायलान/ अप्रार्थीगण**

1. सरकार

1. घीसीया पुत्र राजीया, के कायम मुकाम
   1/1 खुमाराम पुत्र घीसीया
   1/2 मिश्रीलाल पुत्र घीसीया
   1/3 पोलाराम पुत्र घीसीया
   1/4 भंवरलाल पुत्र घीसीया
   1/5 प्रेमी बेवा घीसीया
   1/6 गवरी पुत्री घीसीया
   1/7 प्यारी पुत्री पुत्री घीसीया
   समस्त जातिगण घांची, निवासीगण बूसी, तहसील रानी, जिला पाली

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।
2. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक गैर सायलान की ओर सें।

–:निर्णयः– दिनांकः– 01/06/2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पाली ने अपने निर्णय दिनांक 08.11.1975 मे गैरसायल की भूमि 197 बीघा 09 बिस्वा सीलिंग सीमा से कम मानते हुए प्रकरण का समाप्त कर दिया।

2. राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 08.11.1975 को राज्यहित के विपरित मानते हुए राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–15 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने आदेश क्रमांक प. 1 (1348) राज.सी. 79 जयपुर दिनांक 21.07.1981 को उक्त सिलिंग प्रकरण को रि–ऑपन करते हुए अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग) पलाी को सीलिंग अधिनियम, 1973 के प्रावधानो के साथ धारा 4 (1) के परंतुक द्वितीय के अनुसार पुराने सीलिंग कानून को ध्यान मे रखते हुए गैरसायल द्वारा धारण योग्य भूमि की गणना करने हेतू अधिकृत किया। उक्त आदेश के अनुसरण मे इस न्यायालय मे नये सिलिंग कानून के तहत प्रकरण दर्ज किया गया तथा गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल का देहान्त हो जाने से उसके कायममुकामात को रेकर्ड पर लिया गया तथा उन्हे नोटिस जारी किये गये। गैरसायल के कायममुकामात द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 09.01.2001

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

पारित कर गैरसायल के पास न्यूनतम सीलिंग सीमा से 3.79 स्टे. एकड भूमि अधिक पाई गई जिसे अधिग्रहण करने के आदेश पारित दिये गये।

3. गैरसायल के कायममुकामात द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.01.2001 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मे सीलिंग अपील/24/2001/पाली प्रस्तुत की जो अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 06.08.2003 द्वारा स्वीकार कर इस न्यायालय का निर्णय दिांक 09.01.2001 अपास्त किया तथा प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड कर अपने निर्णय दिनांक 06.08.2003 मे दिए गए प्रेषण (**Observation**) को दृष्टिगत रखते हुए सीलिंग अधिनियम, 1973 के विधिक प्रावधानों एवं पुराने सीलिंग कानून के तहत परिवार के सदस्यों की सख्या की जांच कर सही स्टेण्डर्ड एकड का गणन कर विधि सम्मन आदेश पारित करने के निर्देश दिये।

4. उक्त निर्णय दिनांक 06.08.2003 की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से दिनांक 18.12.2004 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर गैरसायलान को नियम–14 के तहत नोटिस जारी करने का निवेदन किया। जिस पर दोनो पक्षो की बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 07.11.2006 पारित कर गैरसायलान को नियम–14 के तहत नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। गैरसायलान की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

5. सायल की ओर से साक्ष्य मे गवाह जगदीशप्रसाद, पटवारी हल्का बुसी प्रस्तुत हुआ एवं गैरसायलान ने अपनी साक्ष्य मे गवाहान खुमाराम, विरेन्द्रसिंह, मिश्ररिया, मूलाराम एवं प्यारीदेवी के बयान कमलबद्ध करवाये।

6. हमने उभय पक्ष वकीलान की बहस सूनी। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अवगत कराया कि गैरसायल के पास दिनांक 1.1.1973 को निम्नोक्त प्रकार से भूमि धारण करता थाः–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	स्टे. एकड
75	120 बीघा 13 बिस्वा	चाही दोयम	
109	43 बीघा 03 बिस्वा	चाही दोयम	
61	32 बीघा 13 बिस्वा	बारानी अव्वल	
74	01 बीघा 00 बिस्वा	गै.मु.बेरा	
	197 बीघा 16 बिस्वा		33.79

गैरसायल के परिवार के सदस्यों मे 8 सदस्य माना जाना स्वयं गैरसायल ने अपने प्रपत्र मे बताया है एवं तहसीलदार ने भी इन्ही 8 सदस्यों की अनुमानित आयु बताई है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

प्रकरण रिमाण्ड के बाद भी गैरसायल के पुत्र खुमाराम के जन्मतिथी का कोई पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नही किये गये। लिहाजा एक अतिरिक्त युनिट का लाभ गैरसायल पाने के अधिकारी नही है। इसके अलावा धारा–4(1)(2) परंतुक के प्रावधानो अनुसार गैरसायल 33.79 स्टे. एकड भूमि धारण करता है। दिनांक 01.04.1966 को गैरसायल के परिवार के सदस्यों की संख्या एक परिवार युनिट तुल्य रहती है। जैसाकि गैरसायल स्वयं द्वारा प्रपत्र एक मे परिवारजन से सम्बधित कॉलम मे दर्शाया है। इस कारण एक परिवार 30 स्टे. एकड भूमि धारण करने की पात्रता रखता है जिसे छोडकर शेष 3.79 स्टे. एकड भूमि अधिग्रहण करने का अनुरोध किया। यह भी अनुरोध किया कि गैरसायल द्वारा किये गये हस्तातंरण सीलिंग सीमा की प्रभावी तिथी के पश्चात् के है अतः मान्यता देने योग्य नही है।

7. अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस मे अवगत कराया कि दिनांक 01.01.1973 को गैरसायल घीसाराम के परिवार मे कुल 8 सदस्य थे जिनका विवरण निम्नप्रकार है:–गैरसायल घीसा स्वयं, पेमी गैरसायल की पत्नि, खुमाराम उम्र–22 वर्ष, लालाराम, उम्र–20 वर्ष, मिश्रीलाल उम्र–18 वर्ष, पोलाराम उम्र–8 वर्ष, प्यारीदेवी उम्र–6 वर्ष, गवरी उम्र–4 वर्ष। इस प्रकार गैरसायल घीसा का पुत्र खुमाराम दिनांक 01.01.1973 को बालिग पुत्र था जिसे स्वतंत्र ईकाई का लाभ देय है। गैरसायल साक्ष्य मे प्रस्तुत गवाह खुमाराम ने अपनी साक्ष्य से अपनी जन्मतिथी 1.1.1951 अपनी जन्मकुण्डली एवं आधार कार्ड प्रस्तुत कर साबित की है। यदि धारा–4(1) के परंतुक (2) को भी लागू करे तो दिनांक 01.04.1966 को पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत परिवार मे 6 सदस्य थे और 6 सदस्य के लिये 30 + 5 = 35 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण की जा सकती है। गैरसालय साक्ष्य मे प्रस्तुत गवाह प्यारी ने अपनी साक्ष्य मे आधार कार्ड की प्रति पेश कर अपनी जन्मतिथी 05.03.1966 होना साबित की। इस लिहाज से दिनांक 01.04.1966 को गैरसायल के परिवार मे कुल 6 सदस्य होना साबित है जबकि दिनांक 01.04.1966 को गैरसायल के पास 33.79 स्टे. एकड भूमि धारित थी। इस प्रकार गैरसायल के पास सीलिंग सीमा से अधिक धारित भूमि नही है।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड की जांच की एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06.08.2003 का ससम्मान ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य प्रदर्श–एनए 2 पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 01.03.1990 अनुसार गैरसायल घीसा के पुत्र खुमाराम की उम्र–18 बताई जाकर दिनांक 01.01.1973 को बालिग बताया गया है। इसके अलावा खुमाराम स्वयं ने न्यायालय मे दी गई साक्ष्य मे स्वयं को दिनांक 01.01.1973 को बालिग बताया तथा अपनी जन्मकुण्डली एवं आधार कार्ड मे जन्मतिथी 1.1.1951 बताई है। इस लिहाज से दिनांक 01.01.1973 को खुमाराम बालिग होकर उसकी उम्र करीब 22 वर्ष साबित की है अतः खुमाराम अतिरिक्त ईकाई का लाभ पाने का अधिकारी है। इसके अलावा पुराने सीलिंग कानून की धारा–4(1) के परंतुक द्वितीय अनुसार जांच करने पर पाया गया कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01.03.1990 प्रदर्श–एनए 2 मे वर्णितानुसार दिनांक

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

01.01.1973 को गैरसायल के परिवार मे कुल 8 सदस्य होना दर्शाया गया जिसमे दिनांक 01.01.1973 को प्यारी की उम्र–8 वर्ष बतायी गई है तथा दिनांक 01.04.1966 से पूर्व दिनांक 05.03.1966 को प्यारी का जन्म होना गैरसायल प्यारी ने अपनी साक्ष्य से साबित किया जिसे नही माने जाने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस लिहाज से दिनांक 01.04.1966 को पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत गैरसायल के परिवार मे 6 सदस्य थे और 6 सदस्य के लिये 30 + 5 = 35 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण की जा सकती है।

9. लिहाजा गैरसायल के पास न्यूनतम सीलिंग सीमा से कम भूमि धारण मे पाई गई है, अतः गैरसायल के विरूद्ध नये सीलिंग कानून के तहत एवं पुराने सीलिंग कानून की धारा–4(1) के परंतुक द्वितीय के तहत भूमि अधिग्रहण योग्य नही रहती है। अतः गैरसायलान के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही ड्रोप करने योग्य होने से ड्रोप की जाने के आदेश दिये जाते है। इस निर्णय की प्रति तहरीर के साथ जिला कलक्टर, पाली एवं तहसीलदार रानी को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 01/06/2022 को खुल न्यायालय मे सुनाया गया।

(राधेश्याम)
अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग)
पाली राजस्थान

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)